74

निग - 1928 - I - 16

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../............../........................

विषय :– आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार – श्री सागर सिंह गौड पिता श्री सी.एल. गौड़ निवासी बरगी जिला जबलपुर

विरूद्ध –

अनावेदक – 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. श्री आत्मेश गर्ग पिता गोपालदत्त गर्ग, निवासी 616 चितरंजन दास वार्ड रामनगर अधारताल जिला जबलपुर ।

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **44/अ–21/2015–16** में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 06/06/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री सागर सिंह गौड पिता श्री सी.एल. गौड़ निवासी बरगी जिला जबलपुर द्वारा ग्राम रीमा प.ह.नं. 54 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 324/1, 324/2 रकवा क्रमशः 0.40 एवं 0.37 हे. कुल रकबा 0.77 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री आत्मेश गर्ग पिता गोपालदत्त गर्ग निवासी 616 चितरंजन दास वार्ड रामनगर अधारताल जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11/02/2016 (Annexure-2) **म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के** तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- प्रकरण में तहसीलदार बरगी द्वारा प्रकरण क्रमांक **20/अ–21/15–16** में प्रतिवेदन दि. 21/03/2016 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत 2.23 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है और आवेदित भूमि निस्तार पत्रक/वाजिब उल अर्ज में दर्ज नहीं है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1928/एक/2016 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-7-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 44/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम रीमा प.ह.न.54 रा.नि.म. वरगी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 324/1, 324/2 रकवा 0.40 एवं 0.37 है0 कुल रकवा 0.77 है0 भूमि अनावेदक गैर आदिवासी आत्मेश गर्ग पुत्र गोपाल दत्त गर्ग निवासी 616 चितरंजन दास वार्ड रामनगर आधार ताल जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक भूमिहीन नहीं होगा क्योंकि उसके पास 2.23 है0 भूमि शेष बचेगी। इसलिये आवेदक को	

भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 44/अ–21/2015–16 पंजीबद्ध कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर से करायी। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आवेदक के प्रकरण में आदेश दिनांक 06.06.2016 पारित कर आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने दिनांक 06.06.2016 को आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया। जबकि कलेक्टर, जबलपुर को आवेदन पत्र पद सद्भाविक विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी विक्रय अनुमति मिलने पर विचार होने से रह गया, अतः विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना

की।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 06.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

6– आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक काफी समय से बीमार है, किन्तु आर्थिक परेशानियों के कारण वह अपना इलाज कराने में असमर्थ है। (उसके द्वारा मेडीकल प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है) ऐसी स्थिति में उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। साथ ही साथ यह भी निवेदन किया था कि उपरोक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् वह भूमिहीन नहीं होगा बल्कि उसके पास भूमि शेष बचेगी ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :–

1– पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जॉच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 2.23 हैक्टेयर भूमि

शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है

कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 2 के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम रीमा प.ह.न. 54 रा.नि.म. वरगी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 324/1, 324/2 रकवा क्रमशः 0.40 एवं 0.37 है0 कुल रकवा 0.77 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य